आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 10.02.2026 समय : 0705

<><><><><><><><>

- 'सागरमाला परियोजना' के तहत गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण – परियोजना में अंडमान निकोबार पवेलियन भी शामिल।
- मत्स्य पालन विभाग की ओर से "भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्य पालन का सतत दोहन नियम, 2025" के बारे में अधिसूचना जारी की गई है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का मसौदा तैयार करने को कहा।
- अखिल भारतीय सिविल सेवा क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए चयन प्रक्रिया 12 फरवरी को आयोजित की जाएगी।

<><><><><><><><>

भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की 'सागरमाला परियोजना' के तहत गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना है। इस परिसर में अंडमान निकोबार प्रशासन अपना एक विशेष तटीय केंद्र शासित प्रदेश पवेलियन तैयार कर रहा है, जो द्वीपों की अद्वितीय वास्तुकला, संस्कृति और समुद्री इतिहास को दुनिया के सामने रखेगा। प्रशासन ने इस पवेलियन को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आम जनता से सामग्री, जानकारी और कलाकृतियाँ साझा करने का अनुरोध किया है। इसके तहत तटीय पुरातात्विक स्थलों की जानकारी, सांस्कृतिक विरासत, समुद्री तकनीक, ऐतिहासिक संबंध के प्रमाण, शिल्पकारी और स्मारक की जानकारी या तस्वीरे शामिल है। जानकारी, सामग्री या कलाकृतियों का विवरण कला एवं संस्कृति सचिव को ईमेल के जरिए भेजे जा सकते हैं।

<><><><><><><><>

नीति आयोग ने नई दिल्ली में विकसित भारत और नेट ज़ीरो से संबंधित तीन अध्ययन रिपोर्ट जारी की हैं। इन रिपोर्टों में समग्र रोडमैप, व्यापक आर्थिक प्रभाव और वित्तीय आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया है। रिपोर्टों के विमोचन के दौरान, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन ने इन्हें विकसित भारत के लक्ष्य को हसिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बताया। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट देश के

विकास से जुड़े भविष्य के विचार–विमर्श के लिए मानक का काम करेंगी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि 2070 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के नाते, भारत को अपने नागरिकों और आने वाले दशकों में वे जिस दुनिया में रहेंगे, उसके कल्याण के लिए चिंतित होना चाहिए। इस अवसर पर बोलते हुए, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने कहा कि भारत में हरित प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने की अपार क्षमता है। भारत की विकास यात्रा को अभूतपूर्व बताते हुए, उन्होंने कहा कि देश विकसित आर्थिक स्तर हासिल करने के साथ–साथ 2070 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को शून्य तक कम करने का प्रयास कर रहा है। श्री सुब्रह्मण्यम ने कहा कि भारत का विकास मॉडल वैश्विक दक्षिण के अन्य विकासशील देशों के लिए एक मिसाल कायम करेगा।

<><><><><><><><>

मत्स्य पालन विभाग की ओर से सभी मछुआरों, मछली पकड़ने वाली नौकाओं के मालिकों और संबंधित हितधारकों के लिए "भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्य पालन का सतत दोहन नियम, 2025" के बारे में अधिसूचना जारी की गई है। विभाग ने बताया कि यह नियम द्वीप समूह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के कुल EEZ का लगभग एक–तिहाई हिस्सा इसी क्षेत्र में आता है। इस अधिसूचना के अंतर्गत अनन्य आर्थिक क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए 'एक्सेस पास' का होना अनिवार्य है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। सभी पात्र नौका मालिकों को ReAlCraft पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन जमा करना होगा। इससे गहरे समुद्र में संचालन के दौरान मछुआरों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

<><><><><><><><>

'एनीमिया मुक्त भारत' के तहत राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कल मनाया जाएगा। छूटे हुए बच्चों का मॉप–अप राउंड 17 फरवरी को किया जाएगा। इसमें सरकारी और निजी स्कूल तथा आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा 1 से 19 वर्ष के सभी बच्चों और किशोरों को एल्बेंडाजोल की खुराक दी जाएगी। सभी माता–पिता यह सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे स्कूल या आंगनवाड़ी केंद्र में यह दवा जरूर लें। आम जनता से एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं का सहयोग करने का अनुरोध किया गया है।

<><><><><><><><>

सर्वोच्च न्यायालय ने कल केंद्र सरकार को रिजर्व बैंक, बैंकों और दूरसंचार विभाग के परामर्श से डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया–एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने डिजिटल धोखाधड़ी के माध्यम से 54 हजार करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी को डकैती बताया। शीर्ष न्यायालय ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि बैंकों को साइबर धोखाधड़ी को रोकने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और एन वी अंजारी की पीठ ने कहा कि बैंकों का यह नैतिक दायित्व है कि वे ग्राहकों को सतर्क करें। न्यायालय ने रिज़र्व बैंक, दूरसंचार विभाग और अन्य विभागों को डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों में मुआवज़ा देने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया।

<><><><><><><>

भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेल बोर्ड की ओर से पुरूष खिलाड़ियों के लिए अखिल भारतीय सिविल सेवा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। यह टूर्नामेंट 17 फरवरी से 26 फरवरी तक दिल्ली में होगा। इस संबंध में, खेल एवं युवा मामले विभाग द्वारा चयन प्रक्रिया का आयोजन 12 फरवरी को सुबह आठ बजे नेताजी स्टेडियम में किया जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार, सशस्त्र बल मुख्यालय, पुलिस संगठनों और आईजी कार्यालयों में कार्यरत नागरिक कर्मचारी, राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी और खेल अधिकारी या प्रशिक्षक भाग ले सकते हैं। चयन ट्रायल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को अपने विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र और अपने विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य है।

<><><><><><><>

नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से फरवरी माह के दौरान द्वीपों के विभिन्न ग्राम पंचायतों में विशेष आधार शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर सुबह साढ़े नौ बजे से शाम 4 बजे तक लगेगा। दक्षिण अंडमान के तहत हम्फ्रीगंज में 12 और 13 फरवरी को, वंडूर में 17 और 18 फरवरी, बिडनाबाद में 19 और 20 तारीख, कन्यापुरम में 24 और 25, नमुनाघर में 26 और 27 फरवरी को जबकि शहीद द्वीप में आज और कल शिविर लगेगा। मध्योत्तर अंडमान में उत्तरा में कल और 12 फरवरी को, इसके अलावा ननकौड़ी द्वीप के कच्छाल में आज से 12 फरवरी तक शिविर का आयोजन किया जाएगा।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार प्रशासन ने "समावेशी विकास" के विजन को बढ़ावा देते हुए ननकौड़ी द्वीप समूह में चैम्पिन जेटी से टापोंग गांव को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़क के व्यापक उन्नयन के लिए 4.19 करोड़ रुपये की स्वीकृति और व्यय को अपनी मंजूरी दे दी है। यह 4.68 किलोमीटर लंबा सड़क खंड स्थानीय जनजातीय समुदाय के लिए एक जीवन रेखा है। इसके तहत 7 आरसीसी पुलिया का निर्माण और 2,800 मीटर साइड ड्रेन बनाया जाएगा। 2018 में बनी यह सड़क भारी मानसून और जलभराव के कारण अक्सर खराब हो जाती थी। अब इसे 'क्लाइमेट–रेजिलिएंट' बनाया जा रहा है। इसके बन जाने से लगभग 1,300 निवासियों को सुचारू और सुरक्षित वाहन आवागमन की सुविधा मिलेगी। यह परियोजना अंडमान लोक निर्माण विभाग की देखरेख में जल्द ही शुरू की जाएगी।

<><><><><><><>